न्यायालय लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर(S D O) पीपाड़ शहर(जोधपुर)

पीठासीन अधिकारी, डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर R.A.S

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 08/2019

प्रार्थीगण :–

1. किशनाराम पुत्र गिरधारीराम
2. बगदाराम पुत्र गिरधारीराम जातियान जाट निवासी सिलारी तहसील पीपाड़ शहर ।
3. ओमा पुत्री गिरधारीराम पत्नि महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी सिलारी हाल निवास भावी तहसील बिलाड़ा ।
4. मीरा पुत्री गिरधारीराम पत्नि माधुराम जाति जाट निवासी सिलारी हाल निवास बीरावास तहसील बिलाड़ा ।
5. सोहन पुत्री गिरधारीराम पत्नि भीखाराम जाति जाट निवासी सिलारी हाल निवास भावी तहसील बिलाड़ा

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. घेवरराम पुत्र दुर्गाराम
2. दयाराम पुत्र दुर्गाराम
3. रामदीन पुत्र दुर्गाराम जातियान जाट
4. पेमी पुत्री दुर्गाराम जाति जाट पेमी निवासीयान ग्राम सिलारी तहसील पीपाड़ शहर ।
5. भूमिधारी जरीये तहसीलदार पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता : श्री बख्तावर सिंह जाखड़ अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक : 22.08.2019

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:– ग्राम सिलारी तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 180 रकबा 3.1713 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम आयी हुई है । जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा । प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के चारो तरफ सेटलमेन्ट सगय से पुरानी माठे कायम है । वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है । प्रार्थीगण की उक्त वादग्रस्त आराजी के दक्षिण तरफ अप्रार्थीगण सं. एक से चार की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 178 रकदा 5.3475 हैक्टयर आयी हुई है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. एक से चार की भूमि के मध्य सेटलमेन्ट समय से पुरानी माठ कायम है तथा पेड़ पोधे खड़े है लेकिन अप्रार्थी सं. एक से चार बीच की माठ हर समय खुर्द बुर्द करते आ रहे है तथा पेड़ पोधे काट रहे है तथा अप्रार्थीगण बीच की माठ को खुर्द बुर्द कर अपनी जमीन में मिला दी है तथा अब प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 180 के दक्षिण पश्चिमी सीमा में प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी के

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

अन्दर पत्थरो की सुखी चुनाईकर दिवार निकालने पर उतारू है इस पर प्रार्थीगण के अपनी अपनी जमीन का नाप चौप करवाने हेतु कहा लेकिन अप्रार्थीगण नाप चौप भी नही करवा रहे है तथा प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी की दक्षिणी पश्चिमी सीमा के अन्दर सुखे पत्थरो की दिवार निकालकर जबरदस्ती कब्जा करने पर उतारू है इसलिए प्रार्थीगण अपनी वादग्रस्त आराजी का नाप चौप कर सीमांकन करवाकर खातेदारी अधिकारो की सुरक्षा हेतु चारो तरफ मुटाम कायम करवाना चाहते है जिससे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य कोई वाद विवाद नही हो एवं झगड़ा फिसाद नही हो जिसके लिए प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र वादग्रस्त आराजी का नाप चौप कर सीमांकन हेतु प्रस्तुत करना पड़ रहा है । दिनांक 13.01.2019 को अप्रार्थीगण अपने साथ आठ दस व्यक्तियो को लेकर प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी के दक्षिणी पश्चिमी सीमा में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर माठ खुर्द बुर्द करना शुरू कर दिया तथा माठ पर खड़े बबूल, केर, हरे वृक्षो को उखेड़ने लग गये जिसकी प्रार्थीगण द्वारा संबंधित पुलिस थाना विलाड़ा में रिपोर्ट पेश की । अप्रार्थीगण राजनैतिक रूप से प्रभावशाली है तथा अप्रार्थी दयाराम पुलिस महकमें से रिटायरमेन्ट है इसलिए ऐलानिया रूप से कहते है कि पुलिस थाना से कुछ नही हो सकता । इस प्रकार प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी के खातेदारी हक अधिकारो पर खतरा मण्डराने लग गया है इसलिए प्रार्थीगण अपनी वादग्रस्त आराजी का नाप चौप कर सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है जिसके लिए प्रार्थीगण मुटाम के पत्थर उपलब्ध करवाने को तैयार है । न्यायहित में प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी का नाप चौप करवाकर जाकर सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करवाया जाने का आदेश फरमावें । अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 180 रकबा 3.1713 हैक्टयर भूमि का नाप चौप करवाया जाकर सीमांकन करवाया जाकर पत्थरगढ़ी किया जाने का आदेश फरमावें ।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये वकील अप्रार्थी 1 से 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार से है कि :– ग्राम सिलारी में खेत खसरा नम्बर 178 अप्रार्थी सं. 1 से 4 के स्वयं की पुश्तैनी खातेदारी की जमीन आई हुई है । इस जमीन के पड़ौस में खेत खसरा नम्बर 180 प्रार्थीगण की खरीदसुदा जमीन आई हुई है । अप्रार्थीगण 1 लगाय 4 के हिस्से की भूमि पर वर्तमान में चारो तरफ पत्थरो से कच्ची दीवार बनी हुई है । अप्रार्थी सं. 2 व 3

उपखण्ड अधिकारी
शहर (जोधपुर

Scanned by CamScanner

भारतीय वायुसेना के पूर्व वायु सैनिक हैं तथा हमेशा गांव से बाहर ही रहते है, जिनके हिस्से में पारिवारिक बंटवारे में उपरोक्त खसरे की भूमि आई हुई है । जगीन की देख भाल समय समय पर गांव आकर करते हैं लेकिन पडौसी प्रार्थी सं. 1 लगाय 5 हमेशा वही रहते है तथा खेती बाड़ी व पशु पालन का कार्य करते है । प्रार्थीगण अप्रार्थीगणो की अनुपस्थिति का फायदा उठातें हैं तथा अपने पशु अप्रार्थीगण के खेत में चराकर फसल का नुकसान करवाते थे तथा फसल चोरी भी करते थें । प्रार्थीगण के पिता स्व. श्री गिरधारीराम ने हमारी अनुपस्थित का नाजायज फायदा उठाते हुए हमारे बीच में बनी माठ का आधा हिस्सा पूर्व में निकाल कर अपनी आराजी में मिला लिया लेकिन अप्रार्थीगण के एतराज करने पर बताया कि आईन्दा से आधी माठ आपके हिस्से की पड़ी है । अप्रार्थीगण अपने खेत में प्रार्थीगण के द्वारा करवाये गये नुकसान व फसल चौरी से निजात पाने के लिए खेत के चारो तरफ पत्थरों की मेड़ बनाने से पहले प्रार्थी सं. 1 को मौके पर बुलाया गया तथा उसके कहे अनुसार माठ पर से झाड़िया हटाई गई तत्पश्चात प्रार्थीगण ने जो वर्तमान में हमारा आधा हिस्सा था उसमें से भी आधा हिस्सा लेकर अपने हाथो से पत्थर के मुटाम लगाकर हमें पत्थरो की कच्ची दीवार निकालने की ईजातत दी। हमने प्रार्थीगण के कहे अनुसार ही हमारे हिस्से में दीवार निकाली हैं जो मौके पर मौजुद है । अप्रार्थीगण के पड़ौसी खेत खसरा नम्बर 177 व 179 के खातेदार ने भी उस रोज खेत की पैमाईश भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी सिलारी से करवाई थी तथा निशा लगवाये थे उस वक्त उन्होने खेत खसरा नम्बर 180 के कोर्नर जो अप्रार्थीगण के खेत से लगते है पर भी निशान लगाये थे तथा प्रार्थीगण के दक्षिण सीमा जो अप्रार्थीगण के खेत के बीच में हैं तथा हल्की सी आर्क रूप में है को भी मध्य नजर रखते हुए वर्तमान माठ पर ही निशान लगाये थे उस निशान को प्रार्थीगण की तरफ छोड़ते हुए वर्तमान दीवार निकाली गई जो मौके पर मौजुद है । जहां तक प्रार्थीगण के वादग्रस्त आराजी खेत खसरा नम्बर 180 के नाप चैाप व सीमांकन का सवाल हैं तो उसमें अप्रार्थीगण का निवेदन हैं कि खेत खसरा नम्बर 180 के पड़ौस में अप्रार्थीगण के अलावा खते खसरा नम्बर 18, 182, 184, 177, व 179 आये हुए है । प्रार्थीगण की जमीन नाप अनुसार हैं या नही इसका पता उसके खसरे की जमीन का चारो तरफ से पैमाईश करने पर ही पता चल सकेगा । इस स्थिति में सभी पड़ोसियो को पक्षकार बनाना आवश्यक है । खेत खसरा नम्बर 178 के कुछ हिस्से में प्रार्थीगण भी खातेदार है ।

उपखण्ड अधिकारी
लोहाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

वकील बहस पक्षकारान सुनी गयी । वकील प्रार्थीगण ने बहस करते हुए कहा कि ग्राम तिलवासनी के खसरा नम्बर 15 रकबा 15 बीघा 16 का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रार्थीगण के पक्ष में किया जाना न्यायसंगत है एवं वकील प्रार्थीगण ने यह भी बताया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी, खातेदारी कब्जा सुदा भूमि है । जिस पर प्रार्थीगण पीढ़ियो से काबिज होकर काश्त करता आ रहा है ।

प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योकि प्रार्थीगण अपनी वादग्रस्त आराजी का खातेदार व काश्तकार है उसे अपनी खातेदारीसुदा जमीन पर सीमांकन करवा कर मुटाम स्थापित करवाने का पूर्ण अधिकारी है । यदि अप्रार्थीगण अपने धन बल व भुज बल के आधार पर प्रार्थीगण के वादग्रस्त आराजी की माठ को खुर्दबुर्द कर कब्जा करने की कोशिश की गई तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी अन्य रूप से नही हो सकती है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के आधार यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है इसलिये वादग्रसत आराजी का नाप चौप व सीमांकन करवा कर पत्थरगढ़ी करवाई जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम सिलारी के खसरा नम्बर 180 रकबा 3.1713 हैक्टयर भूमि का टीम गठित कर नाप चौप व सीमांकन कर रूबरू पक्षकारान के सीमा कायम करते हुए पैमाइश करवाकर पत्थरगढ़ी करावे । अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों ।

(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर (SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 22.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर (SDO)
पीपाड़ शहर

Scanned by CamScanner